कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः आर0टी0ई0 / 97-103 /2026–27 दिनांक 02/04/26

समस्त प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक
मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (01)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत हों कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(01)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में कराया जाना है। वर्ष 2026–27 हेतु तृतीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये, प्राप्त आवेदनों के आधार पर आर0टी0ई0 पोर्टल से ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा विद्यालय आवंटन हुआ है। जिलाधिकारी महोदया गौतमबुद्धनगर के अनुमोदन के क्रम में ऑनलाइन लॉटरी के आधार पर पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विद्यालय में प्रवेश किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश की कार्यवाही अविलम्ब एक सप्ताह के अन्दर करते हुए सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को अवगत करायें।

संलग्नक–ऑनलाइन तृतीय चरण की सूची।

Rahul
(राहुल पँवार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पृ0सं0 दिनांक एवं तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मेरठ मण्डल मेरठ।
6. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची के अनुसार छात्र / छात्राओं का सम्बन्धित विद्यालयों में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।